

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम —हिण्डौन सिटी जिला करौली
इजलास अनूपसिंह, R.A.S.

उनवान

1. विजेन्द्रसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन जिला करौली
2. घनश्याम पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन जिला करौली — मृतक
- 2/1. गंगादेवी पत्नि घनश्याम जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन जिला करौली
- 2/2. भूपेन्द्रसिंह पुत्र घनश्याम जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन जिला करौली
- 2/3. विष्णु पुत्र घनश्याम
3. उदयसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन जिला करौली
4. गुमानसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन जिला करौली — वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये जिला कलक्टर, जिला करौली
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली — प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरार हक,
इन्द्राज दुरुस्ती

मुकदमा नं0 13/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री पुरुषोत्तमलाल गोयल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1398 रकबा 0.63 है0, 1475 रकबा 0.31 है0, 1573 रकबा 0.01 है0, 1574 रकबा 0.50 है0, 1576 रकबा 0.47 है0, 1798 रकबा 0.50 है0, 1801 रकबा 0.44 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 2.86 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन का वादी सं01 विजेन्द्रसिंह पुत्र —

हरिसिंह जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन को हि01/4, उदयसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन को हि01/4, गुमानसिंह पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन को हि01/4, भूपेन्द्रसिंह, विष्णु पिसरान घनश्याम गंगादेवी पत्नि घनश्याम जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन को बहिस्सा बराबर हि01/4 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं तथा पूर्व के समस्त इन्द्राजात हजफ किये जाकर उक्तानुसार इन्द्राज दुरुस्ती की जाती है। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20-12-2021 को यह डिक्री जारी की गई।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली